राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र 39/2015/जोधपुर

मैसर्स जेठमल एण्ड ब्रदर्स
ई–8,मण्डोर,जोधपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थितः

श्री पी.एम.चौपडा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रंत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 15.06..2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2080/2013/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2015 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2003–04 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 15.09.2005 को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित धारा 29 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत् पारित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अभिकर्ता को विक्रयार्थ भेजे गये माल के प्रमाण स्वरूप घोषणा प्ररूप "एफ" प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें स्वीकार कर, इसे अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं होना मानकर, करारोपण से कटौती निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात्, रिकॉर्ड का पुनः अवलोकन कर, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि इस संबंध में "विधिक भूल" हो गयी है क्योंकि केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवम् टर्न ओवर) नियम, 1957 के नियम 12(5) के प्रावधानों के आलोक में घोषणा प्ररूप "एफ" प्रत्येक माह के लिये प्रेषित माल का पृथक–पृथक प्रस्तुत होना बाध्यकारी है। अतः उक्त "भूल के सुधार" हेतु अधिनियम की धारा 37 के तहत् नोटिस जारी किया । बावजूद विधिक तामील के प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। फलस्वरूप, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित अधिनियम की धारा 37 के तहत् आदेश पारित कर, अन्तर्राज्यीय आवर्त रू0 9,66,491/– पर कर रू0 38,660/– व अनुवर्ती ब्याज रू0 39,105/–/– आरोपित कर अग्रिम जमा रू. 3,090/–को कम करते हुए कुल मांग राशि रू0 74,675/– कायम की, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर

अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर की। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 10.09.2015 को किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये न्यायिक निर्णयों पर विचार किये बिना ही वाद को प्रतिप्रेषित किया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि अपीलीय स्तर पर प्राधिकरण द्वारा वाद को निर्णय किये जाने से पूर्व प्रस्तुत किये गये समस्त निर्णयों पर विचार करने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहए था, जो नहीं किया गया है, जो रिकार्ड से परिलक्षित भूल स्पष्टतः प्रकट होती है, इसलिए निर्णय दिनांक 10.09.2015 को संशोधित करते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत तर्को एवं की गई बहस पर विचार करने के पश्चात चैतन्य मस्तिष्क से पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 10.09.2015 पारित किया गया है। उनका कथन है कि व्यवहारी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र में जिस बिन्दु को उठाया गया है, उस पर बिन्दु को अपील सुनवाई के दौरान भी उठाया गया है, जिस पर विचार करने के पश्चात ही माननीय एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 10.09.2015 पारित किया हैं, इसलिए उक्त निर्णय संशोधन योग्य नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है जो बिना वाद–विवाद के रिकार्ड से परिलक्षित भूल(Apparent mistake on record) प्रकट होती है। निर्णय दिनांक 10.09.2015 में ऐसी कोई भूल नहीं बताई गई है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हो, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कंड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2015 पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि उसमें विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है ।अपीलार्थी द्वारा जिन तथ्य के आधार पर निर्णय दिनांक 10.09.2015 में संशोधन हेतु

निवेदन किया गया है,उसी बिन्दु को अपील की बहस के दौरान उठाया गया है, जिस पर विचार करने के पश्चात ही एकलपीठ द्वारा निर्णय पारित किया है।

बहस के दौरान विभागीय पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :–

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

"8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf."

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be

held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held thagt such a power of rectification could onlybe exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the contexst of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/ modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437.Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority tob rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for.When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under

Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impunged order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नही किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य